



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032022-234485
CG-DL-E-25032022-234485

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1261]
No. 1261]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2022/चैत्र 3, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2022/CHAITRA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

का.आ. 1303(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 532 (अ) दिनांक 09 फरवरी, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के आगर मालवा जिले में NH552G के कि.मी. 143.9 से कि.मी.191.6 (उज्जैन-झालावाड़ खण्ड) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 12 फरवरी, 2022 को “दैनिक भास्कर समाचार पत्र में हिन्दी में” और “फ्री-प्रेस समाचार पत्र में इंग्लिश में” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के आगर मालवा जिले में NH552G के कि.मी. 143.9 से कि.मी.191.6 (उज्जैन-झालावाड़ खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: आगर मालवा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सुसनेर				
	गांव का नाम: ढोला खेड़ी				
1	121/1	निजी	सिंचित	0.05	गोरधनसिंह, दाणुसिंह, नरसिंह पिता चन्दरसिंह, श्यामकुंवर बाई, करण कुवंर बाई पिता चन्दर सिंह जाति सौधिया (121/1)
2	132/1	निजी	सिंचित	0.01	कमलसिंह पिता बालूसिंह (132/1)
3	134/1	निजी	सिंचित	0.01	प्रतापसिंह पिता बालूसिंह (134/1)
4	154/1	निजी	सिंचित	0.01	नारायण, गणपत पिता प्रभूलाल (154/1)
			कुल	0.08	

[फा. सं. PIU/IND/U-J/LA/3a/2018/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2022

S.O. 1303(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 532 (E) dated 9th February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four-laning etc.), maintenance, management and operation of NH552G on the stretch of land from Km. 143.9 to Km. 191.6 (Ujjain-Jhalawar Section) in Tehsil Susner district AGAR MALWA in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar News Paper in Hindi" and "Free Press News Paper in English" both dated 12 February, 2022; under sub section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection have been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH552G in the stretch of land from Km. 143.9 to Km. 191.6 (Ujjain-Jhalawar Section) in the district of AGAR MALWA in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: AGAR MALWA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Susner				
	Village: Dholakhedi				
1	121/1	Private	Irrigated	0.05	Gordhan Singh, Danu Singh, Nar Singh S/o Chandar Singh, Syam Kumbar bai, Karan Kumbar Bai S/o Chandar Singh Caste Sondhiya 121/1
2	132/1	Private	Irrigated	0.01	Kamal Singh S/o Balu Singh 132/1
3	134/1	Private	Irrigated	0.01	Pratap Singh S/o Balu Singh 134/1
4	154/1	Private	Irrigated	0.01	Narayan, Ganpat S/I Prabhulal 154/1
			TOTAL	0.08	

[F. No. PIU/IND/U-J/LA/3a/2018/3D]

RAJESH GUPTA, Director